

Topic - Nation Building and its Problems

Class - XII, Part 'A' Unit - I

Subject - Political Science

Date - 13 July, 2020

By Rahul Kumar Jha

राष्ट्र निर्माण और उसकी समस्याएँ :-

कश्मीर की समस्या :- भारत में लगभग 562 रियासतें थीं। 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम में यह प्रावधान था कि रियासत का राजा अपनी रियासत को भारत संघ में मिलाए या पाकिस्तान में मिलाए या स्वतंत्र बना रहे। कश्मीर के राजा हरि सिंह ने तीसरा विकल्प चुना। अतः उसने भारत में विलय का सुझाव नकार दिया। स्थिति का लाभ उठाते हुए पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। भारत सरकार वहाँ अपनी सैनिक नहीं भेज सकी थी क्योंकि अभी तक कश्मीर का भारत संघ में



विलय नहीं हुआ था।

26 अक्टूबर, 1947 को राजा ने भारत के विलय पर हस्ताक्षर किए। तभी भारत की सेनाएँ वहाँ पहुँची जिनोंने पाकिस्तान के आक्रमण-कारियों को पीछे धकेल दिया। प्रान्तीयों ने एक नए मामला लेबुस शब्द लेब की सुरक्षा परिषद को भेजा। वहाँ बुद्ध-विशम का निर्णय हुआ। लेकिन कश्मीर का लगभग छह-तिहाई भाग पाकिस्तान के अकेले कब्जे में चला गया जिसे उसने 'आजाद कश्मीर' का नाम दिया। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि जब सामान्य स्थिति बहाल हो जाए तो लोक निर्णय से इस समस्या का अंतिम समाधान दिया जाए। इसी समय हमारा लेख्यान बन रहा था, अर्थात् स्थिति की गंभीरता को समझते हुए जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का स्तर दिया गया।



मुहम्मद रक्त गंगा, लेकिन पाकिस्तान का यही आग्रह बना रहा कि वहाँ लोक निर्माण योजना पारित कौंकि राजा ने हवाय में आकर विषय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। पाकिस्तान के आग्रहानुसार वह विषय अक्षेप्य हैं। दूसरी ओर भारत का यह आग्रह है कि अन्य संकटों रियासतों की तरह यह विषय भी क्षेप्य हैं क्योंकि अपनी रियासत को भारत संघ में मिलाने का अधिकार केवल राजा के पास था। समय-समय पर लुखा परिवर्तन ने अपने मध्यस्थों की भेजा, जैदों, ओवेन डिकसन, गुनार जारिगे जिन्होंने पाकिस्तान के आग्रह का समर्थन दिया।

इस बीच स्थिति में काफी परिवर्तन हो गया। अगस्त 1953 में शेख अब्दुल्लाह की निरपेक्षा के बाद बख्शी गुलाम मुहम्मद ने रचनात्मक भूमिका निभाई। वे संविधान बना का आयोजन किया गया जिसमें कश्मीर का संविधान बनाया। इसी प्रक्रिया में जम्मू-कश्मीर को भारत का अखिर अंग बना गया है।